न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 99/2023

प्रार्थी :– बाबुराम पुत्र प्रभुजी, जाति राईका, निवासी पचपदरा तह. पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. दिलीप कुमार पुत्र हस्तीमल
2. महावीर कुमार पुत्र हस्तीमल
3. लीलादेवी पत्नी हस्तीमल जातियान माली, निवासी पचपदरा, जिला बाडमेर।
4. श्रीकिशन पुत्र शिवलाल जाति सुथार, निवासी पचपदरा, तह. पचपदरा, जिला बाडमेर ।
5. नौ वहन सडक परिवहन एवं उच्च मार्ग (भू तल परिवहन) मंत्रालय भारत सरकार (एन.एच.ए.एल) जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर ए.एच.ए.एल पता 188, उम्मेद हैरीटेज, जोधपुर जिला जोधपुर (राज)
6. खेताराम पुत्र करनाराम, जाति राईका, निवासी पचपदरा तह. पचपदरा, जिला बाडमेर ।
7. मसरीदेवी पत्नी जोगाराम, जाति देवासी, निवासी ईन्द्राणा, तह. सिवाना, जिला बाडमेर
8. सूजीदेवी पुत्री पोकरराम जाति राईका
9. सुन्दरदेवी पत्नी करनाराम, जाति राईका निवासी पचपदरा, जिला बाडमेर ।
10. जगाराम पुत्र जोधाराम जाति देवासी, निवासी मुगडा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
11. मिश्राराम पुत्र खेताराम, जाति भील, निवासी पचपदरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
12. तेजराज सोनी पुत्र हरीराम, जाति सोनी निवासी गांव धुंधाडा, तह0 लूणी, जिला जोधपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी कायम हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:21 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री करणसिंह सोलंकी, प्रार्थी अधिवक्ता

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 13 एक पक्षीय

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

'आदेश' दिनांक :– 05.06.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद ग्राम भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1527/170, 1528/170 एवं क्षेत्रफल कमशः 0.1522, 0.3391 हैक्टेयर कुल 2 खसरे व क्षेत्रफल 0.4913 हैक्टेयर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 13 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1527/170, 1528/170 एवं क्षेत्रफल कमशः 0.1522, 0.3391 हैक्टेयर कुल 2 खसरे व क्षेत्रफल 0.4913 हैक्टेयर भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 13 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 13 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमा [illegible] लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि [illegible] भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा [illegible] खसरा संख्या 1527/170, 1528/170 एवं क्षेत्रफल कमशः 0.1522, 0.3391 है[illegible]र कुल 2 खसरे व क्षेत्रफल 0.4913 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1527/170, 1528/170 एवं क्षेत्रफल कमशः 0.1522, 0.3391 हैक्टेयर कुल 2 खसरे व क्षेत्रफल 0.4913 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थी ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 21/11/2022 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1527/170, 1528/170 एवं क्षेत्रफल कमशः 0.1522, 0.3391 हैक्टेयर कुल 2 खसरे व क्षेत्रफल 0.4913 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 13 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 05.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा